

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2025/15

मुकदमा नम्बर 03/2025

दर्ज दिनांक— 03.01.2025

1. जसूसिंह पुत्र जसवंत सिंह पुत्र श्री सुरजन सिंह
2. बालूसिंह उर्फ बाल सिंह पुत्र श्री सुरजन सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम टौकछिलरी ,तहसील नवलगढ़, जिला झुन्झुनू

—आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

—अनावेदक

वकील आवेदक : — श्री सज्जन चाहर

वकील अनावेदक :- पैरा. राज.

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 19.03.2025

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम टौकछिलरी पटवार हल्का टौकछिलरी की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 269 पुराना 233 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 597,600,603,604,644 रकबा क्रमशः 0.12, 0.15, 0.06, 0.06, 0.14 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.53 है0 में आवेदक सं. 1 का नाम जसू सिंह पुत्र सुरजन सिंह के स्थान पर जसवंत सिंह पुत्र सुरजन सिंह दर्ज किया जावे तथा इसी ग्राम में भूमि खाता सं. नया 71 पुराना खाता सं. 72 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 569,578,581,596,598,599,639 रकबा क्रमशः 0.09,0.18,0.05,0.03,0.02,0.11,0.25 है0 कुल किता 07 कुल रकबा 0.73 है0 के राजस्व रिकार्ड में आवेदक सं. 1 का नाम जयसिंह पुत्र सुरजन सिंह के स्थान पर जसवंत सिंह पुत्र सुरजन सिंह व आवेदक सं. 2 का नाम बालसिंह पुत्र सुरजन सिंह के स्थान पर बाल सिंह पुत्र सुरजन सिंह दर्ज किये जाने का आदेश दिया जावे।


प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक की जारी की गई। अनावेदक की और से पैरा. राज. उपस्थित । तहसीलदार नवलगढ़ से तथ्यात्मक रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./25/6376 दिनांक 12.02.2025 पेश हुई जिसके अनुसार आवेदक का प्रा. पत्र स्वीकार कर रिकार्ड दुरुस्त किया जाना उचित है। बहस वकील आवेदक द्वारा पेश करने पर बगौर सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से आवेदक का प्रा. पत्र बाबत दुरुस्ती साबित है। जिसके अनुसार रिकार्ड दुरुस्त किया जाना उचित जाहिर होता है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय और न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम टौकछिलरी पटवार हल्का टौकछिलरी की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 269 पुराना 233 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 597,600,603,604,644 रकबा क्रमशः 0.12, 0.15, 0.06, 0.06, 0.14 है 0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.53 है 0 में आवेदक सं. 1 का नाम जसू सिंह पुत्र सुरजन सिंह के स्थान पर जसवंत सिंह पुत्र सुरजन सिंह दर्ज किया जावे तथा इसी ग्राम में भूमि खाता सं. नया 71 पुराना खाता सं. 72 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 569,578,581,596,598,599,639 रकबा क्रमशः 0.09,0.18,0.05,0.03,0.02,0.11,0.25 है 0 कुल किता 07 कुल रकबा 0.73 है 0 के राजस्व रिकार्ड में आवेदक सं. 1 का नाम जयसिंह पुत्र सुरजन सिंह के स्थान पर जसवंत सिंह पुत्र सुरजन सिंह व आवेदक सं. 2 का नाम बालसिंह पुत्र सुरजन सिंह के स्थान पर बाल सिंह पुत्र सुरजन सिंह दुरुस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ़ राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 19.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला-झुंझुनू